

प्रेस नोट संख्या- 58

दिनांक- 21.03.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री अनूप कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 708/11 धारा 302/34 भादवि थाना जायस के अभियुक्तगण 1- सोहराव पुत्र गफ्फार नि0 मो0 जेर मस्जिद पानी की टंकी के पास कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी 2-मुनव्वर पुत्र रफीक नि0 ग्राम शेखाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी 3-सद्दाम पुत्र मजीद उर्फ गांधी नि0 मो0 गढी मस्जिद कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एसजे-द्वितीय रायबरेली द्वारा आज दिनांक 21.03.2024 को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रु0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा के दिनांक 22.12.2011 समय 09.35 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के भान्जे की अभियुक्तगण 1- सोहराव पुत्र गफ्फार नि0 मो0 जेर मस्जिद पानी की टंकी के पास कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी 2-मुनव्वर पुत्र रफीक नि0 ग्राम शेखाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी 3-सद्दाम पुत्र मजीद उर्फ गांधी नि0 मो0 गढी मस्जिद कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी द्वारा हत्या कर देने की तहरीर पर मु0अ0सं0 708/11 धारा 302/34 भादवि थाना जायस पर पंजीकृत होकर विवेचक थानाध्यक्ष श्री राम किशोर द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्या: ए-161 दिनांक 25.03.2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।